# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

**प्रकरण संख्या : 21/2020 FSSA**

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री घम्मन सिंह पुत्र श्री हजारी लाल गुर्जर
एफबीओ मैसर्सः— दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कोड नं. 2144, तलाई, बाणे का बरखेडा, हाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाणे का बरखेडा, तह व जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 28.10.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 07.03.2020 को प्रातः काल 10:30 बजे विक्रेता श्री घम्मन सिंह पुत्र श्री हजारी लाल गुर्जर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाणे का बरखेडा, में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिये एक एल्यूमिनियम की कैन में 20 लीटर दूध लेकर आया था। जिसने स्वयं को मैसर्सः— दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कोड नं. 2144, तलाई, बाणे का बरखेडा तहसील दौसा का मालिक बताया एवं मिश्रित दूध स्कूली बच्चों के लिये विक्रय करना बताया को अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता के पास मौजूद एक एल्यूमिनियम केन में करीबन 20 लीटर मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर एल्यूमिनियम की केन में से हिलामिलाकर नमूने की जॉच हेतु 2 लीटर मिश्रित दूध खरीदा। जिसे विक्रेता ने भी हिलामिलाकर एक साफ सूखे एवं खाली स्टील की भगोनी में नाप तौलकर दिया जिसकी कीमत 74 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा मिश्रित दूध को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40—40 बूंद फार्मलीन की डालकर बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.– 2391 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 11.03.2020 को खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.03.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.03.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के नमूने की खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./261/एक्ट/2020/331 दिनांक 12.05.2020 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./261/एक्ट/2020/331 दिनांक 12.05.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के नमूने मे मिल्क फैट 2.20 प्रतिशत ही पाया गया है, जो कि कम से कम 4.50 प्रतिशत होना चाहिए था। मिल्क फैट तय मानको से कम पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध को बिना खाद्य पदार्थ लाईसेन्स के विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी के यहां से लिया गया नमूना जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर का पाया गया है, प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से दूध क्रय कर स्कूल में विक्रय किया जाता है, मेरे द्वारा क्रीम नहीं निकाली जाती है, जैसा दूध आता है वैसा ही विक्रय करता हूँ। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा कम से कम जुर्माना लगाये जाने का निवेदन किया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र0 सं0 : 21/2020 **FSSA**

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /261/एक्ट/2020/331 दिनांक 12.05.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन के विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री घम्मन सिंह पुत्र श्री हजारी लाल गुर्जर एफबीओ मैसर्सः– दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कोड नं. 2144, तलाई, बाणे का बरखेडा, हाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाणे का बरखेडा, तह दौसा पर 5,000/–( अक्षरे पांच हजार रूपये ) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 28.10.2020 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

( लोकेश कुमार मीना )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः– 6-11-2020

क्रमांक/ FSSA/1113-1115

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री घम्मन सिंह पुत्र श्री हजारी लाल गुर्जर, एफबीओ मैसर्सः– दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कोड नं. 2144, तलाई, बाणे का बरखेडा, तहसील व जिला दौसा।

( लोकेश कुमार मीना )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा